न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 13 / 2023
स्टेट जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

श्री मांगीलाल पुत्र शिव कुमार जाति बिश्नोई निवासी माणकसर, पुलिस थाना सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट
उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री राजेन्द्र पारीक अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः—24.07.2025

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.04. 2023 को दौराने गश्त दो बोलेरो पिकप गाडी न० RJ-13-GC-5489 व बोलेरो पिकप गाडी न० RJ13GC0243 जो कैचिया से गोलूवाला रोड पर आ रही थी जिनको रोककर चैक किया गया तो प्रत्येक बोलेरो में 11—11 ड्रम व कुछ जरिकन है जिनमे भारी मात्रा में अवैध डीजल है। दोनो वाहन बालेरो पिकअप गाडीयो RJ-13-GC-0243 व RJ-13-GC-5489 व दो शक्सगण पकज कुमार व मांगीलाल के उपस्थित मिले। प्रथम वाहन के निरीक्षण उपरांत RJ-13-GC-0243 का निरीक्षण किया जाना शुरू किया गया व उक्त वाहन के चालक के बारे में पुछा तो दोनो में से एक शक्स जिसने अपना नाम मांगीलाल पुत्र शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी माणकसर पुलिस थाना सुरतगढ़ शहर जिला श्रीगंगानगर बताया व उक्त RJ-13-GC-0243 का चालक होना बताया। जिस पर वाहन RJ-13-GC-0243 का निरीक्षण किया गया तो बोलेरो पिकअप बरंग सफेद है जिसके चौसिस नम्बर MA1ZN2TNKM5K58377 व इंजन न0 TNM4H76726 है, पिकअप डाला में 11 ड्रम व 6 जरिकेन रखे है जिनके ढक्कन खोलकर देखा तो सभी ड्रमों व जरिकनों में डीजल भरा हुआ मिला। ड्रमों व जरिकनों में भरे डीजल की मात्रा को गेज से मापा गया तो सभी 11 ड्रमों में प्रत्येक में 220 लीटर डीजल भरा मिला व 6 जरिकनों में जिनमें प्रत्येक में 40 लीटर डीजल भरा हुआ है। पिकप वाहन के स्वयं के तेल टैक में करीब कुल 30 लीटर डीजल भरा हुआ है। इस प्रकार 11 ड्रमों व 4 जरिकनों में व पिकप में कुल 2690 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। शक्स मांगीलाल को इतनी अधिक मात्रा मे डीजल अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत् लाईसैस / परमिट पुछा तो नहीं होना बताया। शक्स मांगीलाल द्वारा इतनी मात्रा में बिना लाईसैस / परमिट के डीजल को अपने कब्जे में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दफा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.2023 द्वारा जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप गाडी नं0 RJ-13-GC-0243 को 10 लाख की सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामें की सशर्तों पर थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को नियमानुसार सुपुर्द पर दिये जाने के आदेश दिये गये थे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि पुलिस द्वारा जब्तशुदा वाहन बोलेरों पिकअप RJ-13-GC-0243 को डीजल से भरे हुए ड्रमों को जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में बताया गया है कि उक्त राजस्थान राज्य से बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल खरीद कर लाया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा तय किये गये आदेश नियमों की अवहेलना हुई है व राज्य सरकार के राजस्व में हानि हुई। अप्रार्थी के पास लाईसेन्स व परमिट बाबत कोई कागजात नहीं होना बताया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के इतनी मात्रा में डीजल तेल रखना व परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि यह कि उक्त अनवान के प्रकरण में पुलिस थाना गोलुवाला द्वारा वाहन बोलेरो पिकअप नं. आरजे 13 जीसी 0243 को बतौर वजह सबूत अपने कब्जे में लिया गया है। उक्त वाहन में नियमानुसार 22450 लीटर डीजल बिलशुदा खरीदकर लाया जा रहा था। प्रार्थी ने किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की आजीविका का साधन कृषि है। इसलिये प्रार्थी द्वारा अपने कृषि कार्य के लिये जय श्री राम फिलिंग स्टेशन, शेरगढ़ अबोहर से डीजल खरीद कर परिवहन किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा केन्द्र सरकार के 2500 लीटर डीजल छूट से अधिक डीजल का परिवहन नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी को उक्त वाहन व डीजल की अपने कृषि कार्य हेतु हर समय आवश्यकता रहती है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खरीदशुदा 2450 लीटर डीजल मालिक मांगीलाल को दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोलुवाला द्वारा अप्रार्थी पंकज से 11 ड्रमों में प्रत्येक में 220 लीटर डीजल व 6 जरिकनों में जिनमें प्रत्येक में 40 लीटर डीजल भरा हुआ जब्त किया गया है। इस प्रकार 11 ड्रमों व 6 जरिकनों में कुल 2660 लीटर डीजल भरा जब्त किया गया। जब्तशुदा सामान एक ही अप्रार्थी मांगीलाल से जब्त किया गया है।
2. पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश 1999 की धारा 2एफ के तहत 2500 लीटर तक एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा 2500 लीटर से अधिक डीजल का परिवहन

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। न ही जांच के वक्त लाईसेन्स / परमिट की कॉपी पेश की।

अतः जब्तशुदा 11 ड्रमों में प्रत्येक में 220 लीटर डीजल व 6 जरिकनों जिनमें प्रत्येक में 40 लीटर डीजल, इस प्रकार 11 ड्रमों व 6 जरिकनों में कुल 2660 लीटर डीजल को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है। पुलिस परिवाद में अंकित वाहन बोलेरो पिकअप गाडी नं0 RJ-13-GC-0243 को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जब्तशुदा का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा 11 ड्रमों व 6 जरिकनों में कुल 2660 लीटर डीजल के निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ